प्रकरण नेशनल लोक अदालत दिनांक 09.12.17 में प्रेम्प्रे 1 कि राज्य द्वारा एडीपीओं। अभियुक्त महेन्द्र सहित अधिवक्ता श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव। फरियादी नरेश उपस्थित। प्रकरण राजीनामा हेतु नियत है।

फरियादी की ओर से राजीनामा हेतु अनुमित आवेदन पत्र मय लोक अदालत डॉकेट हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया गया। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री उदलसिंह गुर्जर एवं अभियुक्त की पहचान अधिवक्ता श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव ने की।

उभयपक्षों को सुना। प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी ने अभियुक्त से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है।

अभियुक्त पर भादवि० की धारा 294, 323, के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। उक्त धारा का आरोप न्यायालय की अनुमति से फरियादी द्वारा शमनीय है। पीठ सदस्यगण द्वारा प्रकरण में राजीनामा स्वीकार किए जाने की अनुशंसा की गयी। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उददेश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को धारा 294, 323 भा०द०वि० के अपराध आरोप से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्त की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्त के प्रतिभूति व बधपत्र भारमुक्त किए जाते है।

प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे। आदेश की प्रति पक्षकारों को निःशुल्क प्रदाय की जावे। प्रकरण का परिणाम सुसंगत पंजी में दर्जकर अमिलेखागार मेजा जावे।

शिरणीन हिटा सदस्य

HCHU HCHU

बाउतान क्राप्तिलेश

计如此的 (55 回)

भेडनावी हैं जिल्लाहर जिल्लाहर